

## धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मली मान्यता

### चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार झारखंड के धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मान्यता मलि गई है, जससे अब यहाँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरयि छात्रों का नामांकन होगा।

### प्रमुख बदि

- गौरतलब है कि नर्सिंग कोर्स में नामांकन कराने वाले छात्रों एवं नर्सिंग स्कूल प्रबंधन को इंडियन नर्सिंग कॉउंसलि, नयी दलिली की मान्यता की अनविर्यता समाप्त होने के संबंध में झारखंड सरकार ने 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है।
- इस संबंध में झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य में नर्सिंग स्कूल के संचालन के लयि नयिमावली जारी की है, जसि झारखंड राज्यांतरगत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन व परीक्षा संचालन नयिमावली का नाम दयिा गया है।
- वदिति है कि हाल ही में धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने इंडियन नर्सिंग कॉउंसलि, नयी दलिली की मान्यता की अनविर्यता की अस्पष्टता के कारण सड़क लेन को जाम कयिा था। झारखंड सरकार की अधिसूचना के बाद अब इस बारे में संशय की स्थिति समाप्त हो गई है।
- राज्य के धनबाद की ही बनौद बहिरि महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने भी नर्सिंग स्कूल के छात्रों की परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दयिा है।
- इस अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दयिा गया है कि इंडियन नर्सिंग कॉउंसलि नई दलिली ने अपने पत्रांक दनिांक 9.2.2020 द्वारा सभी नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के लयि संबंधति राज्यों के परिचारिका परिषद/राज्य सरकार को प्राधिकृत कयिा गया है।
- सर्वोच्च न्यायलय ने यह नरिणय कयिा कि नर्सिंग संस्थानों को स्थापति करने व संचालन की मान्यता देने का काम राज्यों की परिचारिका परिषद एवं राज्य सरकार की होगी।
- सर्वोच्च न्यायलय ने यह भी स्पष्ट कर दयिा है कि एक बार डगिरी या डपिलोमा मलिने के बाद कोई भी नर्स भारत के कसिी भी कोने में जाकर सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी कर सकेंगे।
- इसके अंतरगत अब कोई भी छात्र जो नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश चाहेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकन हेतु चयन प्रक्रयिा से गुजजना होगा।